CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

UPSC 6 वर्ष

आईएएस मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन

2019-2024 प्रश्न-पत्र I-IV

अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

UPSC 6 वर्ष

आईएएस मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र I-IV प्रश्नोत्तर रूप में

विगत वर्ष (PYQ) अध्यायवार हल 2019-2024

इन प्रश्न-पत्रों का हल यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप किया गया है। यह पुस्तक सभी राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी हैं।

संपादक

एन. एन. ओझा

हल

क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE

Nurturing Talent Since 1990

.....अनुक्रमणिका

- ■ मुख्य परीक्षा 2024 : सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-I 1-12
- ■ मुख्य परीक्षा 2024 : सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II 13-24
- ■ मुख्य परीक्षा 2024 : सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III 25-37
- ■ मुख्य परीक्षा 2024 : सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-IV 38-50

प्रश्न-पत्र-I

- ❖ भारत एवं विश्व का इतिहास 1-11
- ❖ भारतीय विरासत एवं संस्कृति 12-17
- ❖ समाज 18-28
- ❖ भूगोल 29-50

प्रश्न-पत्र-II

- ❖ भारतीय राजव्यवस्था 1-27
- ❖ सामाजिक न्याय 28-39
- ❖ अंतरराष्ट्रीय संबंध 40-50

प्रश्न-पत्र-III

- ❖ भारतीय अर्थव्यवस्था 1-18
- ❖ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 19-27
- ❖ पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन 28-40
- ❖ सुरक्षा 41-52

प्रश्न-पत्र- IV

- ❖ नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि 1-27
- ❖ केस स्टडी 28-58

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन -I

भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज
(Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society)

- भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।
- 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास-महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय।
- स्वतंत्रता संग्राम-इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/उनका योगदान।
- स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन।
- विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव।
- भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता।
- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय।
- भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव।
- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।
- विश्व के भौतिक-भूगोल की मुख्य विशेषताएं।
- विश्वभर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण (दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए), विश्व (भारत सहित) के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक।
- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान-अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणि-जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

सामान्य अध्ययन -II

शासन व्यवस्था, संविधान, शासन-प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध
(Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International Relations)

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।
- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।
- भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना।
- संसद और राज्य विधायिका-संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य-सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।
- सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।
- विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग-गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।
- गरीबी और भूख से संबंधित विषय।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।
- लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।
- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
- भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
- महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

सामान्य अध्ययन -III

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन (Technology, Economic Development, Biodiversity, Environment, Security and Disaster Management)

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।
- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।
- सरकारी बजट।
- मुख्य फसलें-देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न-सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली-कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं; किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु-पालन संबंधी अर्थशास्त्र।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग-कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन।
- भारत में भूमि सुधार।
- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।
- बुनियादी ढांचा : ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।
- निवेश मॉडल।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।
- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।
- आपदा और आपदा प्रबंधन।
- विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध।
- आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।
- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।
- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश

सामान्य अध्ययन –IV

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि (Ethics, Integrity and Aptitude)

इस प्रश्न–पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार–व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न–पत्रों में किसी मामले के अध्ययन (केस स्टडी) का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।

- नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह–संबंध: मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम: नीतिशास्त्र के आयाम; निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। मानवीय मूल्य–महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा; मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।
- अभिवृत्ति: सारांश (कंटेन्ट), संरचना, वृत्ति; विचार तथा आचरण के प्ररिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध; नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि; सामाजिक प्रभाव और धारणा।
- सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर–तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना।
- भावनात्मक समझ: अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग।
- भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान।
- लोक प्रशासनों में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र: स्थिति तथा समस्याएं; सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं; नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतर्रात्मा; शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण; अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था (फंडिंग) में नैतिक मुद्दे; कॉरपोरेट शासन व्यवस्था।
- शासन व्यवस्था में ईमानदारी: लोक सेवा की अवधारणा; शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान–प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।
- उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2024

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-I

भारतीय विरासत एवं संस्कृति

प्रश्न. दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में काँची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर: पल्लव वंश ने 4वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में शासन किया और एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति को जन्म दिया, जिसका क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा और जो दक्षिण भारत के साहित्य एवं कला के विकास में सहायक सिद्ध हुई। उनके संरक्षण से तमिल और संस्कृत दोनों सभ्यताओं का विकास हुआ, जिससे साहित्यिक और स्थापत्य परंपराओं पर स्थायी प्रभाव पड़ा।

कला और साहित्य के विकास में पल्लवों का योगदान

- पल्लवों ने तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं के विकास को प्रोत्साहित किया। **महेंद्रवर्मन प्रथम** जैसे राजा न केवल शासक थे, बल्कि विद्वान भी थे, जिन्होंने व्यंग्य नाटक **'मत्तविलास प्रहसन'** की रचना की। उनके शासनकाल में दोनों भाषाओं में शिलालेख अंकित किए गए, जिससे साहित्यिक उन्नति हुई।
- पल्लवों के कला संबंधी नवाचारों का अन्य राजवंशों, विशेष रूप से **चोलों** पर गहरा प्रभाव पड़ा। चोलों ने उनकी साहित्यिक एवं स्थापत्य परंपराओं को अपनाया, जिससे द्रविड़ शैली का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हुआ।
- पल्लवों ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को **पांडुलिपियों एवं शिलालेखों** के माध्यम से संरक्षित किया, जो भविष्य के विद्वानों के लिए बहुमूल्य स्रोत बने।
- **महाबलीपुरम** जैसे स्थानों में पाए जाने वाली **शैलकृत स्थापत्य शैली** को विकसित करने में पल्लव अग्रणी रहे। **शोर** मंदिर और पंच रथ जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में जीवंत आकृतियां और विस्तृत नक्काशी हैं, जो गहन कथाएं व्यक्त करती हैं।
- पल्लवों ने धार्मिक और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उन्होंने **अप्पर और संबंदर** जैसे महत्वपूर्ण शैव भक्ति संतों को संरक्षण दिया, जिससे तमिल भक्ति साहित्य का विकास हुआ। इस काल में कई महत्वपूर्ण बौद्धिक कृतियां रची गईं, जिससे तमिल भक्ति परंपराएं समृद्ध हुईं।

इस प्रकार, पल्लवों के साहित्यिक और कलात्मक योगदान ने दक्षिण भारतीय संस्कृति को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित किया। उनके विद्वतापूर्ण संरक्षण से तमिल और संस्कृत परंपराओं का संरक्षण हुआ, जबकि उनके स्थापत्य नवाचारों ने बाद के मंदिर स्थापत्य की नींव रखी।

प्रश्न. "हालाँकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं हैं लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है।" टिप्पणी कीजिए।

उत्तर: चोल वंश (9वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी) दक्षिण भारत के महानतम राजवंशों में से एक था, जिसने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में अप्रतिम विरासत छोड़ी। उनकी उपलब्धियां, विशेष रूप से मूर्तिकला, कांस्य निर्मित मूर्तियों और मंदिर स्थापत्य में, आज भी अपनी भव्यता और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए प्रशंसित हैं। अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ चोलों ने एक समृद्ध स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत भी छोड़ी, जो आज भी अस्तित्व में है।

कला और वास्तुकला में प्रमुख योगदान

(i) मंदिर वास्तुकला:

- चोलों ने **द्रविड़ शैली** के मंदिर स्थापत्य को पूर्णता प्रदान की, जो **बृहदेश्वर मंदिर (तंजावुर), गंगैकोंड चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर** में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।
- उन्होंने **विमान (ऊँचे मंदिर शिखर), विशाल गोपुरम और जटिल नक्काशी वाले मंडपों** को विकसित किया, जिससे आगे के मंदिर स्थापत्य के लिए एक मानक स्थापित हुआ।

(ii) कांस्य मूर्तिकला:

- चोल काल में **कांस्य ढलाई (लॉस्ट-वैक्स तकनीक)** अपने चरम पर पहुँची, जिससे **नटराज (नृत्य करते शिव) और पार्वती** की प्रसिद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ।
- इन मूर्तियों में अद्भुत लयबद्धता, सौंदर्य और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति देखी जाती है, जो भारतीय और वैश्विक कला इतिहास में अमूल्य मानी जाती हैं।

(iii) भित्तिचित्र (Mural Paintings) और भित्ति-चित्रण (Frescoes):

- बृहदेश्वर मंदिर के **चोल चित्रों** में देवी-देवताओं, पौराणिक कथाओं और राजकीय आयोजनों को सूक्ष्मता से चित्रित किया गया है। ये चित्र आगे चलकर दक्षिण भारतीय मंदिर भित्ति-चित्रों की प्रेरणा बने।

चोल युग में भक्ति आंदोलन

- इस काल में **शैव नयनार और वैष्णव अलवार संतों** को विशेष सम्मान दिया गया।
- **उदाहरण:** 10वीं शताब्दी की शुरुआत में नयनार संत द्वारा रचित **"तिरुक्ततोतर तिरुवंतति"** नामक भजन, 63 नयनार संतों के जीवन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है।

अन्य योगदान

- **प्रशासनिक सुधार:** चोलों ने **विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली** अपनाई, जहाँ **ग्राम सभाओं (सभा) और स्थानीय नेताओं** को स्वायत्तता दी गई।
  - इससे स्थानीय प्रशासन कुशल बना और विशाल साम्राज्य पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सका।
- **जल प्रबंधन और नगर योजना:** चोलों ने **सिंचाई प्रणाली, जलाशयों और नहरों** का निर्माण किया, जिससे कृषि समृद्धि सुनिश्चित हुई।
  - उनके नगरों की योजना सुव्यवस्थित थी, जहाँ मंदिर **सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र** के रूप में कार्य करते थे।
- **दक्षिण-पूर्व एशिया पर प्रभाव:** चोलों के **समुद्री व्यापार और सैन्य अभियानों** का प्रभाव **श्रीलंका, इंडोनेशिया और कंबोडिया** तक

पहुँचा, जहाँ **अंकोरवाट** जैसे मंदिरों की स्थापत्य कला पर चोलों की छाप देखी जा सकती है।

इस प्रकार, चोल साम्राज्य के पतन के बावजूद, उनकी कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धियां आज भी प्रेरणा देती हैं। उनके मंदिर, मूर्तियां और भित्तिचित्र उनकी उत्कृष्टता और शिल्पकला के प्रमाणस्वरूप खड़े हैं, जो भारतीय इतिहास में उनकी अमर विरासत को संरक्षित रखते हैं।

भारत एवं विश्व का भूगोल

प्रश्न. इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है।

उत्तर: भारत, विश्व के सबसे सांस्कृतिक रूप से विविध देशों में से एक है, जहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, जातियां और जातीय पहचानें पाई जाती हैं। यह विविधता भारत की शक्ति मानी जाती है, लेकिन कई बार इसे सामाजिक-आर्थिक सीमांतकरण या हाशियेकरण (Marginalization) से भी जोड़ा जाता है। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs), धार्मिक अल्पसंख्यकों और कुछ भाषाई समुदायों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रखा गया है, जिससे उनकी प्रगति प्रभावित हुई है।

सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक सीमांतताओं के बीच सहसंबंध

(i) ऐतिहासिक भेदभाव और सामाजिक बहिष्करण:

- **जाति-आधारित बहिष्करण:** कठोर जाति प्रथा के कारण दलितों और निम्न जातियों को ऐतिहासिक रूप से केवल श्रम आधारित कार्यों तक सीमित रखा गया और उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया।
- **जनजातीय सीमांतकरण:** छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में कई आदिवासी समूह अभी भी मुख्यधारा से कटे हुए हैं और विकास तक उनकी पहुँच सीमित है।
- **धार्मिक अल्पसंख्यक:** सच्चर समिति रिपोर्ट (2006) के अनुसार, भारतीय मुस्लिम समुदाय शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई है।

(ii) क्षेत्रीय और आर्थिक असमानताएं:

- **उत्तर-दक्षिण विभाजन:** दक्षिणी राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास बेहतर है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में यह अपेक्षाकृत कमजोर है।
- **पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति:** समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बावजूद, इन राज्यों को **भौगोलिक अलगाव, कमजोर बुनियादी ढाँचे और उग्रवाद** जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक पिछड़ापन बढ़ता है।

(iii) लिंग आधारित असमानताएं:

- पारंपरिक और पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं को **शिक्षा और आर्थिक अवसरों** की कमी का सामना करना पड़ता है।
- **रूढ़िवादी समाजों** में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी कम होती है, जिससे आर्थिक रूप से महिलाओं का सीमांतकरण (हाशिए पर धकेलना) होता है।

(iv) व्यावसायिक असमानताएं और पारंपरिक आजीविका:

- पारंपरिक शिल्पकार, हथकरघा बुनकर और लोक कलाकार **बाजार प्रतिस्पर्धा और औद्योगीकरण** के कारण संघर्ष कर रहे हैं।
- कई सीमांत समूह अब भी **कम वेतन वाले पारंपरिक कार्यों** जैसे सफाईकर्मी, दिहाड़ी मजदूर और वन-आधारित जीविकोपार्जन तक सीमित हैं।

सहसंबंध को तोड़ने के प्रयास

- **आर्थिक विकास और सरकारी हस्तक्षेप:** शिक्षा और रोजगार में आरक्षण नीतियों ने सीमांत समुदायों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने में मदद की है।
  - स्टैंड-अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी कौशल विकास योजनाओं ने SC, ST और महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया है।
- **शहरीकरण और सामाजिक गतिशीलता:** शहरों की ओर प्रवास से कई सीमांत वर्गों को **बेहतर नौकरियां और शिक्षा** प्राप्त करने के अवसर मिले हैं।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नीतिगत समर्थन:** दलित और आदिवासी नेतृत्व के उदय से नीतियों में हाशिए पर पड़े वर्गों पर अधिक ध्यान दिया गया है।

हालाँकि भारत में सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक सीमांतताओं के बीच ऐतिहासिक रूप से एक सहसंबंध देखा गया है, लेकिन यह स्थायी या अपरिवर्तनीय नहीं है। सरकारी नीतियों, शहरीकरण, शिक्षा और सामाजिक सुधारों ने इन असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रश्न. गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है?

उत्तर: गंगा घाटी, जो विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, भारत की उच्च कृषि उत्पादकता का प्रमुख आधार है। लेकिन सिंचाई हेतु भूजल का अंधाधुंध दोहन इस महत्वपूर्ण संसाधन को समाप्त कर रहा है, जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

- सिंचाई के साथ-साथ शहरी और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भी भूजल का अत्यधिक दोहन होता है। साथ ही वनों की कमी से भूजल पुनर्भरण घटता है, जिससे जल संतुलन बिगड़ता है। इन सब के कारण भूजल में कमी से खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

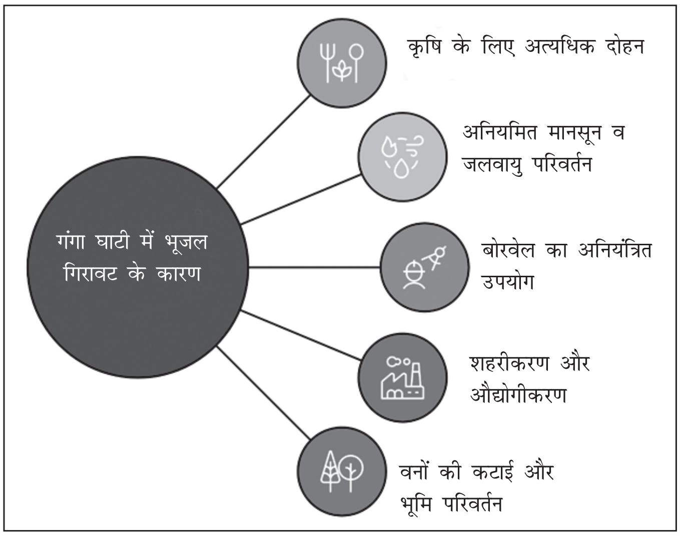

घटता भूजल स्तर: खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

- **फसल उत्पादन में गिरावट:** जल की कमी से धान, गेहूं और गन्ने की पैदावार प्रभावित होती है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य भंडार पर असर पड़ता है।

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2024

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II

राजव्यवस्था एवं शासन

प्रश्न. प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धान्त यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। विवेचना कीजिए।

उत्तर: प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धान्त यह दर्शाता है कि लोक सेवकों की भूमिका शासन को प्रभावी और उत्तरदायी बनाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। यदि इनकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठते हैं, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता और जनता का विश्वास दोनों ही प्रभावित होते हैं। भारत में **2जी घोटाला (2008)** इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार सत्यनिष्ठा में चूक से लोक विश्वास को गहरी क्षति पहुँच सकती है।

लोक सेवकों की भूमिका और उत्तरदायित्व

- लोक सेवक नीतियों, कानूनों और निर्णयों को धरातल पर लागू करके उन्हें जनता तक पहुँचाते हैं।
  - **उदाहरण:** स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू कर, लोक सेवकों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार किया।

लोक धारणा और विश्वास

- लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति सकारात्मक धारणा बनाए रखना सरकार की वैधता के लिए आवश्यक है। जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि निर्णय निष्पक्ष और उनके हित में लिए जा रहे हैं।
  - **उदाहरण:** चक्रवात अम्फान के दौरान पश्चिम बंगाल में राहत कार्यों में लोक सेवकों की पारदर्शिता ने शासन में जनता का विश्वास बनाए रखा।

जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देना

- जब लोक सेवक योजनाओं को पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ लागू करते हैं, तो जनता का विश्वास बढ़ता है। एक सशक्त और सत्यनिष्ठ नौकरशाही सेवा वितरण को प्रभावी बनाती है।
  - **उदाहरण:** प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत बैंक खाते खुलवाने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में लोक सेवकों की सक्रियता ने विश्वसनीयता को प्रबल किया।

निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र

- लोक सेवकों का कार्य अक्सर सार्वजनिक निगरानी के अंतर्गत होता है। प्रतिक्रिया आधारित तंत्र उनकी प्रतिबद्धता को पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से जोड़ते हैं।
  - **उदाहरण:** प्रधानमंत्री कार्यालय की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि लोक सेवक नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं, जो शासन में पारदर्शिता और जनकल्याण की भावना को दर्शाता है।

निष्कर्ष

प्रजातांत्रिक शासन का मूल आधार यह है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता निर्विवाद हो। उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता न केवल प्रशासन की छवि को सुदृढ़ करती है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी गहराई प्रदान करती है। लोक विश्वास बनाए रखने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि लोक सेवक अपने आचरण और सेवा में सर्वोच्च नैतिक मानकों का पालन करें।

प्रश्न. अभी हाल में पारित तथा लागू किये गये, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षायें भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं?

उत्तर: भारत में लोक परीक्षाओं की शुचिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को पारित किया गया। प्रश्न-पत्र लीक जैसी घटनाओं और अनुचित साधनों की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, यह अधिनियम परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य

(i) शैक्षणिक सत्यनिष्ठा की रक्षा

- अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लोक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षाएं ऐसे वातावरण में हों जहाँ केवल योग्यता निर्णायक हो, न कि अनुचित साधन।
  - **उदाहरण:** अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय (cognizable), गैर-जमानती (non-bailable), और समझौताविहीन (non-compoundable) हैं।

(ii) परीक्षा प्रक्रियाओं का मानकीकरण

- यह अधिनियम विभिन्न संस्थाओं में परीक्षा प्रक्रियाओं को एक समान और मानकीकृत बनाने की बात करता है जिससे भिन्नता और भ्रम से बचा जा सके।
  - **उदाहरण:** धारा 3 में प्रश्न-पत्र लीक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग जैसे कम-से-कम 15 कृत्यों को "अनुचित साधन" के रूप में परिभाषित किया गया है।

(iii) विधिक कार्रवाई हेतु सशक्त ढाँचा

- यह अधिनियम दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु एक सशक्त विधिक ढाँचा प्रदान करता है।
  - इसमें जुर्माना और कारावास दोनों के प्रावधान हैं तथा पुलिस और अन्य एजेंसियों को जाँच और अभियोजन की शक्ति दी गई है।

(iv) पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा

- सभी परीक्षार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम पारदर्शिता पर बल देता है।

- इसमें आकस्मिक निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और अचानक जाँच जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान है।

(v) प्राधिकरणों को सशक्त बनाना

- अधिनियम परीक्षा प्राधिकरणों को अनुचित साधनों पर त्वरित कार्यवाही की शक्ति देता है।
  - **इसमें** इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती, धोखाधड़ी में संलग्न सेवा प्रदाताओं को ब्लैकलिस्ट करना और रोकथाम संबंधी उपाय लागू करने का प्रावधान है।

(vi) शैक्षिक जागरूकता और जन-जागरूकता

- अधिनियम विद्यालयों और महाविद्यालयों में ईमानदारी से परीक्षा देने के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाने को अनिवार्य करता है।
  - इसमें उम्मीदवारों और शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम की व्यवस्था का उल्लेख है।

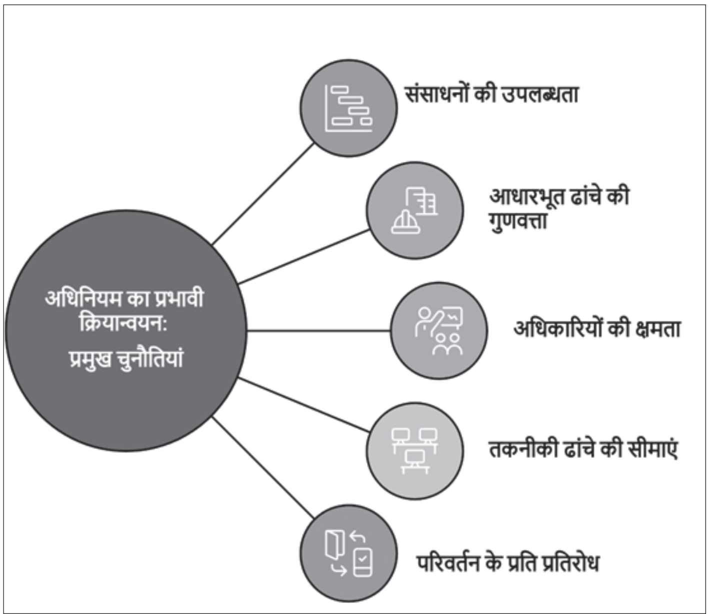

क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं?

- धारा 2(k) के अनुसार, "लोक परीक्षा" से तात्पर्य उन परीक्षाओं से है जो अनुसूची में उल्लिखित लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाती हैं या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ली जाती हैं।
- अनुसूची में **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)** जैसी संस्थाएं शामिल हैं।
- हालाँकि, अधिनियम में विश्वविद्यालय या राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।
- यदि केंद्र सरकार इन्हें "लोक परीक्षा प्राधिकरण" के रूप में अधिसूचित करती है, तो ये भी अधिनियम के दायरे में आ सकती हैं।

निष्कर्ष

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 का उद्देश्य परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम अनुचित साधनों के विरुद्ध एक कठोर कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हालाँकि, विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अधिनियम एक अधिक योग्यता-आधारित और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है।

प्रश्न. निजता का अधिकार, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिये। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिये डी. एन. ए. परीक्षण से सम्बन्धित विधि की चर्चा कीजिये।

उत्तर: निजता का अधिकार मानव गरिमा का मूल आधार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि निजता का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से निहित है। यह अधिकार विशेष रूप से पितृत्व निर्धारण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

संवैधानिक दृष्टिकोण से निजता का अधिकार

- **अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता:** न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अविभाज्य अंग घोषित किया था। यह पारिवारिक जीवन, शारीरिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत निर्णयों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है।
- **मौलिक अधिकारों का आधार:** निजता का अधिकार अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) जैसे अन्य मौलिक अधिकारों के प्रयोग की आधारभूमि है।
- **निजी आस्थाओं एवं संबंधों की रक्षा:** यह व्यक्ति की निजी मान्यताओं, प्राथमिकताओं और संबंधों को राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप से संरक्षित करता है।
- **न्यायिक निगरानी:** किसी भी निजता-हस्तक्षेप की वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी पर परख होती है, जिससे राज्य द्वारा मनमाना व्यवहार रोका जा सके।

गर्भस्थ शिशु के पितृत्व के लिए डी.एन.ए. परीक्षण से संबंधित विधि

- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112:** यह विवाह के दौरान जन्मे संतान को वैध मानने की परिकल्पना करती है। डी. एन. ए. परीक्षण केवल तभी अनुमत होता है जब पितृत्व विवाद का समाधान अन्यथा संभव न हो।
  - गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने परिवार की निजता की रक्षा हेतु डी. एन. ए. परीक्षण का सीमित प्रयोग सुनिश्चित किया।
- **डी. एन. ए. तकनीक नियमन विधेयक, 2019:** इस विधेयक में कानूनी प्रयोजनों के लिए डी. एन. ए. परीक्षण को विनियमित करने तथा निजता की रक्षा हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करने का प्रावधान किया गया था।
  - हालांकि जुलाई 2023 में सरकार द्वारा इस विधेयक को लोक सभा से वापस ले लिया गया तथा प्रकार आपराधिक न्याय प्रणाली में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के उपयोग के लिए नया विनियामक ढांचा तैयार करने के 20 वर्षों के प्रयास का अंत हो गया।
- **संवैधानिक संरक्षण:** अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत किसी भी डी. एन. ए. परीक्षण हेतु सूचित सहमति और विधिसम्मत आधार आवश्यक हैं।
- **पारिवारिक निजता:** न्यायालय इस प्रकार के परीक्षणों को तभी अनुमति देता है जब कानूनी आवश्यकता हो। निजता और गरिमा को सुरक्षित रखने हेतु उपयुक्त न्यायिक संरचना अपनाई जाती है।

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2024

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III

आर्थिक विकास

प्रश्न. भारत में सुधारों के उपरान्त की अवधि में, सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी संवृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है?

उत्तरः सुधारोत्तर भारत (1991 के बाद) में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय, समावेशी संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक रहा है। आर्थिक उदारीकरण के साथ सरकार ने बाजारोन्मुखी नीतियों के साथ-साथ सामाजिक न्याय के लक्ष्य को भी बनाए रखने का प्रयास किया। परंतु सामाजिक क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्तियों और स्वरूप ने मिश्रित परिणाम दिए हैं, जो समावेशी विकास के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं।

सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति और स्वरूप

- **प्रारंभिक गिरावटः** सुधारों के प्रारंभिक वर्षों में राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय अपेक्षाकृत कम रहा।
- **2000 के दशक में तेजीः** सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत से सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- **जीडीपी में हिस्सेदारीः** हाल के वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय कुल सार्वजनिक व्यय का लगभग 7–8% तक पहुँच गया है।
- **राज्यों के बीच असमानताः** कुछ राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करते हैं, जबकि अन्य पिछड़े हुए हैं, जिससे क्षेत्रीय विषमता बनी रहती है।
- **कार्यान्वयन की समस्याएंः** वित्तीय रिसाव (Leakages), भ्रष्टाचार और अमल की बाधाएं व्यय की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

समावेशी संवृद्धि पर प्रभाव

- **सुधार के संकेतः** व्यय में वृद्धि ने साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और गरीबी में कमी जैसे क्षेत्रों में सुधार किया है।
- **वंचित वर्गों को लाभः** लक्षित योजनाओं से समाज के कमजोर वर्गों को अपेक्षित सहायता मिली है।
- **महिला सशक्तीकरण में योगदानः** बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मातृत्व लाभ योजनाएं आदि ने महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाया है।
- **डिजिटल समावेशनः** डिजिटल इंडिया और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों तक सीधे पहुंच संभव हुई है।
- **सामाजिक गतिशीलताः** शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अवसरों में वृद्धि से वंचित वर्गों की सामाजिक स्थिति में सुधार की संभावना बढ़ी है।

चुनौतियां

- **समावेशी सेवा वितरण में बाधाएंः** सेवा की गुणवत्ता, समान-वितरण और अंतिम छोर तक पहुंच अब भी कमजोर है। साथ ही रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सेवा की समग्र पहुँच को लेकर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
- **शहरी-ग्रामीण विषमताः** शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता कम है।
- **मानवीय संसाधनों की कमीः** प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों और चिकित्सकों की कमी व्यय की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।
- **सामाजिक क्षेत्र में निजीकरण का दबावः** निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से सेवाएं कई बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहुँच से बाहर हो जाती हैं।

निष्कर्ष

सुधारोत्तर भारत में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि अवश्य हुई है, जो समावेशी संवृद्धि की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। परंतु यह उद्देश्य अभी पूरी तरह से हासिल नहीं हुआ है। इसके लिए शासन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना, व्यय की दक्षता बढ़ाना और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे सामाजिक विकास अधिक प्रभावी, टिकाऊ और समावेशी बन सके।

प्रश्न. भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आर० बी० आई० की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तरः भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति एक प्रमुख आर्थिक चिंता का विषय है, जो उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति को प्रभावित करती है और नीति निर्माताओं के समक्ष बड़ी चुनौती पेश करती है। खाद्य मुद्रास्फीति के पीछे संरचनात्मक, आपूर्ति-पक्षीय और माँग-पक्षीय अनेक कारक जिम्मेदार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मुख्यतः मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति की प्रकृति को देखते हुए इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है।

भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण

- **आपूर्ति-पक्षीय बाधाएंः** अनिश्चित मानसून, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और निम्न कृषि उत्पादकता खाद्य आपूर्ति को प्रभावित करती हैं।
- **संरचनात्मक समस्याएंः** कमजोर आपूर्ति शृंखलाएं, अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं और कटाई के बाद होने वाली भारी क्षति मूल्य अस्थिरता को बढ़ाती है।
- **इनपुट लागत में वृद्धिः** उर्वरक, डीजल, बीज और श्रम की बढ़ती लागतें उत्पादन मूल्य को बढ़ाती हैं।
- **बदलते उपभोग पैटर्नः** प्रोटीन युक्त और शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों (दूध, मांस, सब्जियां) की बढ़ती मांग के कारण कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है।

- **बाजार विकृतियां:** जमाखोरी, अटकलबाजी और वितरण की अक्षमता मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती हैं।
- **वैश्विक कारक:** भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय वस्तु मूल्य में उतार-चढ़ाव और व्यापार प्रतिबंध खाद्य कीमतों को प्रभावित करते हैं।

उच्च खाद्य मुद्रास्फीति : प्रभावित वर्ग एवं सामाजिक प्रभाव

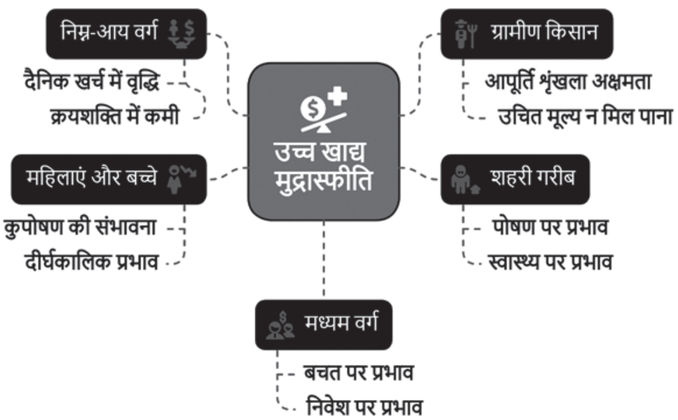

आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता

- **सीमित प्रभाव:** आरबीआई ब्याज दरों में बदलाव और तरलता प्रबंधन द्वारा कुल माँग को नियंत्रित करता है, परंतु खाद्य मुद्रास्फीति मुख्यतः आपूर्ति-पक्षीय होती है, जिस पर मौद्रिक नीति का सीमित असर होता है।
- **ब्याज दर में वृद्धि का सीमित लाभ:** ऊँची ब्याज दरें माँग को घटा सकती हैं, लेकिन वे आपूर्ति की समस्याओं जैसे उत्पादन या भंडारण की कमी को दूर नहीं कर सकतीं।
- **संरचनात्मक उपायों की आवश्यकता:** आपूर्ति शृंखला सुधार, खाद्य अपव्यय में कमी और किसान-खरीदार के बीच बेहतर संपर्क जैसे राजकोषीय उपाय अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

निष्कर्ष

यद्यपि समग्र महंगाई पर नियंत्रण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, किंतु सतत खाद्य महंगाई से निपटने के लिए केवल मौद्रिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार किए जाएं, उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाए और आपूर्ति शृंखला को अधिक सक्षम एवं उत्तरदायी बनाया जाए। दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के बीच सशक्त और समन्वित प्रयास अनिवार्य हैं।

प्रश्न. देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: भारत में भूमि सुधारों का उद्देश्य ग्रामीण असमानता को दूर करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और किसानों को भूमि पर अधिकार प्रदान करना था। हालांकि यह सुधार सभी राज्यों में समान रूप से सफल नहीं रहे, परन्तु केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में इनका प्रभावी कार्यान्वयन हुआ। इन क्षेत्रों में सफलता के पीछे कई महत्त्वपूर्ण कारक रहे।

भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति और सशक्त नेतृत्व:** पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में वामपंथी सरकारों ने भूमि पुनर्वितरण और बटाईदारों के अधिकार को प्राथमिकता दी।
  - **उदाहरण:** ऑपरेशन बर्गा (पश्चिम बंगाल) द्वारा बटाईदारों को अधिकार दिए गए।
- **गरीब-हितैषी नीतियां और जन-सक्रियता:** तेभागा और भूदान जैसे आंदोलनों ने जनदबाव बनाकर सुधारों को बल दिया।
  - किसानों और मजदूर संगठनों की भागीदारी ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में सहायता की।
- **विधायी और प्रशासनिक कुशलता:** स्पष्ट भूमि सीमा कानूनों (Land Ceiling Laws) और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण ने प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया।
  - भूमि सर्वेक्षण और पुनः वितरण में तत्परता दिखाई गई।
- **न्यायपालिका और नौकरशाही का समर्थन:** कुछ राज्यों में नौकरशाही ने सुधारों के क्रियान्वयन में सक्रिय और प्रतिबद्ध भूमिका निभाई तथा न केवल भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाया, बल्कि नियमों की अवहेलना और संसाधनों की हेराफेरी को भी प्रभावी रूप से रोका।
- **सामाजिक जागरूकता और साक्षरता:** ग्रामीण जनसंख्या में शिक्षा और राजनीतिक चेतना ने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई।
- **सहायक कृषि अर्थव्यवस्था:** वे क्षेत्र जहाँ कृषि विविधीकृत है और सशक्त सहकारी आंदोलन सक्रिय हैं (जैसे केरल), वहाँ भूमि सुधारों को ग्रामीण विकास के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा जा सका।

निष्कर्ष

भूमि सुधारों की सफलता मुख्यतः राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनता की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर रही। कुछ राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की, जबकि अन्य स्थानों पर उच्च वर्गों के विरोध, नौकरशाही की निष्क्रियता और कानूनों के कमजोर कार्यान्वयन ने सुधारों को सीमित किया। समावेशी ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में भूमि सुधारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।

प्रश्न. भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए।

उत्तर: मोटे अनाज, जिन्हें प्रायः "पोषक-अनाज" (Nutri-cereals) कहा जाता है, भारत में स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और चावल एवं गेहूँ जैसे पारंपरिक खाद्यान्नों का पोषणयुक्त विकल्प प्रस्तुत करते हैं। भारत में कुपोषण, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर मोटे अनाज एक सतत और पोषणयुक्त खाद्य विकल्प प्रदान करते हैं।

स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा में मोटे अनाजों की भूमिका

- **पोषक तत्वों से भरपूर:** मोटे अनाजों में फाइबर, लौह, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में होते हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने में सहायक होते हैं।
- **ग्लूटन-रहित और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स:** ये मधुमेह रोगियों और ग्लूटन असहिष्णु लोगों के लिए उपयुक्त हैं तथा चयापचय स्वास्थ्य (Metabolic Health) को बेहतर बनाते हैं।
- **जीवनशैली जनित रोगों की रोकथाम:** मोटे अनाजों का नियमित सेवन मोटापा, हृदय रोग और टाइप-2 मधुमेह जैसी बीमारियों की संभावना को कम करता है।
- **दीर्घायु और संपूर्ण स्वास्थ्य में योगदान:** शोध बताते हैं कि मोटे अनाजों का संतुलित सेवन दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ देता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और समग्र जीवन गुणवत्ता (Quality of Life) को बेहतर बनाता है।

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2024

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-IV

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

प्रश्न. प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) को मनुष्यों की बुद्धि का अनुकरण करने वाली तकनीक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सीखने, समस्या-समाधान, और निर्णय लेने जैसे कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम होती है। वर्तमान में यह प्रशासनिक निर्णय-निर्माण में तर्कसंगतता और दक्षता बढ़ाने हेतु तेजी से अपनाई जा रही है। तथापि, इसका अनुप्रयोग नैतिक दृष्टिकोण से कई जटिल प्रश्न खड़े करता है, विशेषकर इसकी सत्यता, पारदर्शिता और मानवीय मूल्यों पर इसके प्रभाव को लेकर।

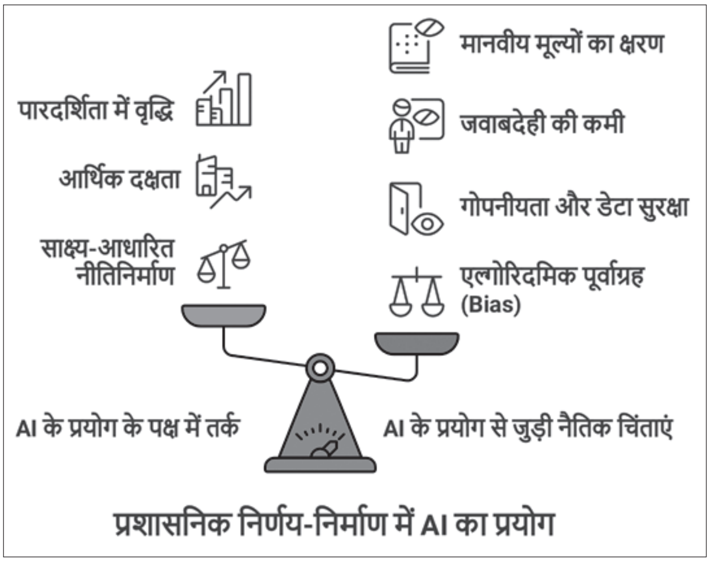

AI के प्रयोग के पक्ष में तर्क

- **साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वयन:** AI विशाल पैमाने पर डेटा को तीव्रता से संसाधित कर प्रशासनिक त्रुटियों को कम करता है तथा सटीक और प्रभावशाली नीतियां बनाने में सहायक होता है।
  - **उदाहरण:** कर दाखिल करने की प्रक्रिया में स्वचालित डेटा सत्यापन से विसंगतियों में कमी आती है।
- **आर्थिक दक्षता एवं पूर्वानुमान:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) स्वचालन के जरिए लागत में उल्लेखनीय कमी लाता है, निर्णयों में निष्पक्षता व निरंतरता सुनिश्चित करता है तथा शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में संभावित परिदृश्यों का सटीक पूर्वानुमान लगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **उदाहरण:** एआई टूल्स, आपदा के समय संसाधनों की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होते हैं, जिससे संसाधनों का प्रभावी आवंटन सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:** उचित रूप से डिजाइन की गई एआई प्रणालियां पारदर्शिता को भी बढ़ाती हैं, जैसा कि ब्लॉकचेन-समेकित सार्वजनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणालियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

AI के प्रयोग से जुड़ी नैतिक चिंताएं

- **एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह (Bias):** AI से जुड़ी प्रणालियां उस डेटा पर आधारित होती हैं, जिससे इन्हें प्रशिक्षित किया गया है, अतः इसमें पहले से मौजूद पूर्वाग्रह भी प्रतिबिंबित हो सकते हैं।
  - **उदाहरण:** क्रेडिट स्कोरिंग या भर्ती में भेदभावपूर्ण परिणाम।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी:** एआई द्वारा लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता की कमी हो सकती है क्योंकि वे 'ब्लैक बॉक्स' एल्गोरिद्म पर आधारित होते हैं, इस प्रकार जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है।
  - **उदाहरण:** न्यायिक सजा निर्धारण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों का उपयोग जवाबदेही से जुड़ी चिंताएं उत्पन्न करता है।
- **मानवीय मूल्यों का क्षरण:** AI पर अत्यधिक निर्भरता समानुभूति, विवेक और संवेदना जैसे मानवीय गुणों को प्रभावित कर सकती है।
  - **उदाहरण:** कल्याणकारी उपायों की स्वचालित वितरण प्रणाली व्यक्तिगत कठिनाइयों को नजरअंदाज कर सकती है।
- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:** व्यक्तिगत डेटा के अत्यधिक प्रयोग से निगरानी और दुरुपयोग की नैतिक चिंता उत्पन्न होती है।

भविष्य की दिशा

- महत्वपूर्ण निर्णयों में **मानवीय पर्यवेक्षण** बनाए रखना आवश्यक है।
- उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु नीतिपरक आचार संहिता (Codes of Ethics) और पारदर्शी AI मॉडल को अपनाया जाना चाहिए।
- **AI और मानवीय मूल्यों का संतुलन** बनाकर तकनीक का नैतिक रूप से समावेशन सुनिश्चित किया जाए।

निष्कर्ष

AI प्रशासनिक निर्णय-निर्माण में तर्कसंगतता और दक्षता का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन इसका नैतिक पक्ष भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। जब तक इसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और पारदर्शिता जैसे मानवीय मूल्यों के साथ संतुलित रूप से नहीं अपनाया जाएगा, तब तक यह जनहित में एक विश्वसनीय उपकरण नहीं बन सकता।

स्रोत: लेक्सिकन 2024 संस्करण पृष्ठ संख्या 521-522

प्रश्न. "नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण हैं।"

मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए।

चर्चा कीजिए कि ये आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं।

उत्तर: नीतिशास्त्र (Ethics) का तात्पर्य ऐसे नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों से है, जो मानव व्यवहार और निर्णय-निर्माण को दिशा देते हैं। नीतिशास्त्र के कई प्रमुख आयाम होते हैं जो न केवल व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करते हैं, बल्कि संगठनों को भी नैतिक रूप से जिम्मेदार बनने की ओर प्रेरित करते हैं। ये आयाम विशेष रूप से पेशेवर संदर्भों में नैतिक निर्णयों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नीतिशास्त्र के प्रमुख आयाम

- **नैतिक मूल्य (Moral Values):** यह 'सही' या 'गलत' को परिभाषित करता है – जो सांस्कृतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत विश्वासों पर आधारित होता है।
  - **उदाहरण:** कार्यस्थल पर ईमानदारी और निष्पक्षता विश्वास और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करती है।
- **मानक नीतिशास्त्र (Normative Ethics):** यह व्यवहार के लिए नैतिक दिशा-निर्देश प्रदान करता है और कर्तव्य तथा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **उदाहरण:** स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में गोपनीयता बनाए रखना नैतिक कर्तव्य का उदाहरण है।
- **जवाबदेही (Accountability):** यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति और संगठन अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें।
  - **उदाहरण:** वित्तीय ऑडिट में पारदर्शिता बनाए रखना हितधारकों में विश्वास उत्पन्न करता है।
- **न्याय और निष्पक्षता (Justice and Fairness):** यह निर्णय-निर्माण में समानता और भेदभाव रहित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
  - **उदाहरण:** कॉरपोरेट क्षेत्र में "समान कार्य के लिए समान वेतन" की नीति निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।
- **समानुभूति और संवेदना (Empathy and Compassion):** यह दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और करुणापूर्ण व्यवहार करने को प्रेरित करती है।
  - **उदाहरण:** संकट की स्थिति में कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन नीतियां बनाना।

पेशेवर निर्णय-निर्माण पर प्रभाव

नीतिशास्त्र के ये आयाम यह सुनिश्चित करते हैं कि पेशेवर निर्णय नैतिक विचार-विमर्श पर आधारित हों और केवल कानूनी औपचारिकताओं तक सीमित न रह जाएं।

✓ **उदाहरण:**

- **सत्यनिष्ठा (Integrity):** यह नैतिक लेखा-परीक्षणों में ईमानदार वित्तीय रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करती है।
- **निष्पक्षता (Fairness):** यह निष्पक्ष भर्ती प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है।
- **समानुभूति (Empathy):** विविध कार्यस्थलों में टकरावों के समाधान में सहायक होती है।
- **जवाबदेही (Accountability):** जवाबदेही, जैसे कि किसी उत्पाद की विफलता की स्थिति में CEO द्वारा जिम्मेदारी लेना, संगठन में विश्वास को मजबूत करता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, नीतिशास्त्र के विभिन्न आयाम न केवल व्यक्ति के नैतिक आचरण को दिशा देते हैं, बल्कि पेशेवर संदर्भों में भी नैतिक निर्णयों को आकार देने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं। ये आयाम एक ऐसा कार्य परिवेश निर्मित करते हैं, जिसमें सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही जैसे मूल्यों की स्थापना होती है।

स्रोत: लेक्सिकन 2024 संस्करण पृष्ठ संख्या 76, 82-85

प्रश्न. "शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास करना चाहिए; और इस पर केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्य करना चाहिए।" वर्तमान संदर्भ में, विकसित देशों के प्रमुख हथियार उद्योग, दुनिया भर में अपने स्वार्थ के लिए कई युद्धों की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। आज के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रहे संघर्षों को रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या हैं?

उत्तर: शांति केवल विचार या विश्वास का विषय नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक प्रतिबद्धता और नैतिक उत्तरदायित्व की माँग करती है। आज के संदर्भ में विकसित राष्ट्रों द्वारा हथियारों के व्यापार को अपने आर्थिक हितों के लिए बढ़ावा देना, विश्व में संघर्ष और मानवीय पीड़ा को निरंतर बनाए रखता है। एलेनर रूजवेल्ट का यह कथन - "शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है... इस पर कार्य करना चाहिए," – हमें यह स्मरण कराता है कि नैतिक मूल्यों को व्यवहार में उतारना अत्यावश्यक है।

वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में संघर्षों को रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के कुछ प्रमुख **नीतिशास्त्रीय विचार** निम्नलिखित हैं:

शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार (Ethical Considerations)

- **सुरक्षा का उत्तरदायित्व (Responsibility to Protect - R2P):** शक्तिशाली देशों को जनसंहार, युद्ध अपराध और मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
  - **उदाहरण:** 2011 में संयुक्त राष्ट्र समर्थित लीबिया हस्तक्षेप इसी सिद्धांत पर आधारित था, यद्यपि इसमें कुछ चुनौतियां भी सामने आईं।
- **हथियार व्यापार का विनियमन:** विकसित देश वैश्विक हथियार निर्यात में अग्रणी हैं।
  - **उदाहरण:** स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका वैश्विक हथियार निर्यात के लगभग 40% हिस्से के लिए जिम्मेदार था।
  - **समाधान:** शस्त्र व्यापार संधि (ATT) का कठोर अनुपालन कर संघर्ष क्षेत्रों में हथियारों की आपूर्ति रोकी जा सकती है।
- **आर्थिक लाभ बनाम नैतिक उत्तरदायित्व:** हथियार उद्योग मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ते हैं।
  - **उदाहरण:** पश्चिम एशिया को होने वाली हथियारों की आपूर्ति से दीर्घकालिक युद्धों को बढ़ावा मिला है।
  - **समाधान:** राष्ट्रों को आर्थिक लाभ से ऊपर शांति-निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना:** संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों के माध्यम से समावेशी निर्णय-निर्माण शक्ति असंतुलन को कम करने में सहायक हो सकता है।
  - **उदाहरण:** पेरिस जलवायु समझौता वैश्विक सहयोग का एक मॉडल है; शांति-निर्माण के लिए भी इसी प्रकार का समझौता किया जा सकता है।
- **विकास को बढ़ावा देना:** युद्धग्रस्त क्षेत्रों में आधारभूत ढाँचे, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश कर स्थायित्व लाया जा सकता है।